राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2740252

No.:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 1929 Date: 01-08-2022

परिपत्र–8

वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा, 2022 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिंदु संख्या 89 पर की गयी घोषणा की अनुपालना में Rajasthan Pensioners' Medical Concession Scheme, 2021 में संशोधन हेतु वित्त (नियम अनुभाग) विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक F.1(4)FD/Rules/2021, दिनांक 19.05.2022 के बिन्दु संख्या 1(II) में उल्लेखित अनुसार पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत) के आश्रित परिवार की परिभाषा को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में वर्णित परिवार की परिभाषा के अनुरूप किया गया है अर्थात अब पेंशनर भी सेवारत राज्यकर्मियों की भांति अपने परिजनों को आरजीएचएस में शामिल कर सकेंगे। राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में वर्णित परिवार की परिभाषा **संलग्नक – 1** में उपलब्ध है।

जैसा की विदित है, उपरोक्त घोषणा/संशोधन से पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत आश्रित परिवार की परिभाषा निम्नानुसार थी :–

"Family" means pensioner's wife/husband, if wholly dependent upon the pensioner. Wife/ Husband will be regarded as wholly dependent upon the pensioner, if she/ he normally resides with the pensioner. In case the pensioner has son(s) or unmarried daughter(s) suffering from any disorder or disability of mind or is physically, crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, he or she will be regarded as a member of family for the purpose of medical facility available under the Scheme.

अतः उक्तानुसार संशोधन से पूर्व राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत लाभार्थी जोकि **Scheme for grant of medical concession to State Government Pensioners** के प्रावधानों के अन्तर्गत आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधाओं हेतु पात्र है, के लिए उनके पूर्व में किये गये

आरजीएचएस पंजीकरण में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में उल्लेखित पारिवारिक परिभाषा के अनुसार शेष पात्र सदस्यों को जोड़ने की व्यवस्था आरजीएचएस में कर दी गयी है। संबंधित लाभार्थी शेष पात्र सदस्यों को स्वयं के जनाधार में शामिल करने के पश्चात् पंजीकृत एस. एस. ओ. आईडी का प्रयोग कर आरजीएचएस के एडिट विकल्प के माध्यम से आरजीएचएस कार्ड में शामिल कर सकते है।

(कल्पना अग्रवाल)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 1930-1945 Date: 01-08-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
8. विशेषाधिकारी, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
9. संयुक्त परियोजना निदेशक (सा0प्र0/क्लेम यूनिट/सतर्कता), आरजीएचएस, जयपुर।
10. संयु0/उप/सहा0 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय।
11. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
12. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, आरजीएचएस को आरजीएचएस वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. प्रभारी, आरजीएचएस हेल्पलाइन (181)।
15. समस्त स्टेक होल्डर्स मय राजकीय/निजी अनुमोदित चिकित्सालय एवं फॉर्मा स्टोर्स।
16. रक्षित पत्रावली।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

संलग्नक – 1

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में उल्लेखित परिवार की परिभाषा

Rule 3(9) :- "**Family**" means Government servant's spouse, wholly dependent children, legally adopted children (including legally divorced / widowed daughter) and parents (excluding step parents) irrespective of where they reside.

Explanation : for the purpose of this clause

(i) Parents shall be deemed to be wholly dependent if their recurring total annual income from all sources does not exceed the limit as prescribed in **Appendix- XIV**.

(ii) A declaration regarding income of parents and children shall be furnished by the Government servant in Annexure-I on the date of enforcement of these Rules and any change in income shall be intimated immediately.

(iii) Any change in family shall be declared in **Annexure-II** by the Government servant within three months of the event.

(iv) Dependent children shall mean and include :

(a)	Son	Till gets married or starts earning income as prescribed in Appendix-XIV or attains the age of 25 years, whichever is earlier.
(b)	Daughter	Till gets married or starts earning income as prescribed in Appendix-XIV whichever is earlier.

Note : Son /daughter suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) shall be treated as dependent irrespective of his/her age or marital status.

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में वर्णित **Appendix- XIV.**

Appendix – XIV
Financial limit prescribed in various Rules Rule No. 3(9)

Rule No.	Financial Limit	Purpose	Competent Authority	Remarks
3(9)(i)	Upto Rs 6000/- per month	Dependency	Head of Office	Income from Contributory Provident Fund, Gratuity, Government of India's Prize Bonds, Insurance benefits etc. shall not be regarded as income for the purpose of this clause
Rule 3(9)(iv)(3(9)(iv)(	Upto Rs 6000 per month	Dependency	Head of Office	Income from Contributory Provident Fund, Gratuity, Government of India's Prize Bonds, Insurance benefits etc. shall not be regarded as income for the purpose of this clause.